


महोदय आपका पत्र पर  
आपके नाम से पालना (पुनर्निश्चित)  
करें अन्यथा अपर बंड किया  
जाकर निधि सम्मत्त काम वादी  
की मांगी। पुनित रहे। पत्रावली  
आपका दिनांक 7/12/2016 को  
पेश है।

उपखण्ड अधिकारी  
सुमेरपुर, जिला-पाली

07.12.16 ~~वकील वरिष्ठ अनुमिषय वकील~~  
~~परिवारि अपनिषय।~~  
~~वकील वरिष्ठ वरिष्ठ~~  
पूर्व में P/C सम्मत्त पत्र करेय  
बाबत पर्याप्त अवसर दिये  
जाये के बाबजूद परिवारि सं.  
(13) (17) (18) (19) (20) एवं (23)  
की तालकी हेतु P/C सम्मत्त  
पत्र नहीं किये है। जो कि  
C.P.C. प्रावधानों का उल्लंघन;  
अंशक है। वकील वरिष्ठ  
की यह कार्य प्रणाली पूर्णतः

उपखण्ड अधिकारी  
सुमेरपुर, जिला-पाली

बिबीसम्मत पुलीस नथे छेती हें  
वकील वादी को विधि वत  
बार बार आवजे विववाहे  
जई बापपुद वकील वादी  
न्यायालय हाजा में अनुपस्थित  
रहे हें। इस पत्रावली पर  
वकील वादी को आज P/E  
सामन पत्र करै बाबत और  
अवतर देना काबुल न्याय सत्रत  
नहीं होगा। अतः यह पत्रावली  
वकील वादी की अदम हाजरी  
एवं अदम पेशी में खारिज  
की जाती है। पत्रावली फासल  
में शुमार व नम्बर ले कम खेपर  
दारिदर चफतर है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सुमेरपुर, जिला-पाली